खंड 1 संख्या 127

राष्ट्र महिला

फरवरी 2010 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

केन्द्र सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक, 2008 को स्वीकृति दे दी है जिसमें कि संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है।

इससे पूर्व, स्थायी संसदीय समिति ने 108वां संविधान संशोधन विधेयक को अपने मूल स्वरूप में स्वीकृति दे दी थी।

यह विधेयक गत 14 वर्ष से लटका हुआ था जिस दौरान बार-बार प्रयत्न किए गये कि इसका विरोध करने वाले राजनीतिक दलों नामतः राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, जनता दल के साथ सहमति बनाई जाये, किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। उक्त तीनों दलों के नेताओं ने यह मांग करते हुए सरकार के प्रयासों को निष्फल कर दिया कि प्रस्तावित आरक्षण में से एक-तिहाई आरक्षण अन्य पिछड़े दलों एवं अल्पसंख्यकों को दिया जाये, अन्यथा केवल उच्च वर्गों की महिलाएं ही चुनी जायेंगी।

चर्चा में — महिलाओं को आरक्षण

अब भारतीय जनता दल, वामपक्षी दलों तथा डी.एम.के. द्वारा समर्थन का वादा करने के बाद संसद में इसे पारित करना सरकार के लिए बहुत आसान हो जायेगा। लोक सभा में कोई समस्या नहीं है क्योंकि बड़े दलों की कुल संख्या वहां इसे पारित कराने के लिए पर्याप्त है। जहां तक राज्य सभा का प्रश्न है, वहां दो-तिहाई मत प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संख्या में सदस्यों को वोट हासिल करने का कार्य चतुर प्रबंधन द्वारा किया जा सकता है।

यह विधेयक सबसे विवादशील विधान रहा है और इसका पारित होना देश में महिला आन्दोलन के लिए तथा राजनीति में महिला-पुरुष संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इससे महिलाएं न केवल वास्तविक रूप से सशक्त होंगी अपितु नीति-निर्धारण तथा निर्णय लेने में भी उन्हें एक सार्थक मंच मिलेगा।

यौन अपराधों का मुकदमा दो वर्ष के अंदर पूरा होगा

एक कठोर कदम उठाते हुए, जो रूचिका यौन उत्पीड़न तथा आत्महत्या का परिणाम प्रतीत होता है, केन्द्र सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं जिनसे यौन अपराधों, जैसे बलात्कार, संबंधी मुकदमों में तेजी आयेगी। इस समय, ऐसे मामलों पर निर्णय दिए जाने के बारे में कोई समयावधि निर्धारित नहीं है जिसके फलस्वरूप मामले वर्षों तक लटके रहते हैं।

लक्ष्य यह रखा गया है कि ऐसे मुकदमों का निर्णय यथासंभव दो मास के अंदर कर दिया जाये। पीड़ितों को न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार भी होगा। संशोधनों में पीड़ितों को मुआवज़ा देने का प्रावधान भी किया गया है।

हाल ही में प्रभावी किए गए इन संशोधनों से शिकायतकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि अब तक किसी निर्णय के विरुद्ध केवल सरकार ही अपील कर सकती थी। आगे से, मामले में सहायता के लिए पीड़िता को वकील करने का अधिकार होगा।

यह प्रावधान भी किया गया है कि बलात्कार पीड़िता का बयान उसके घर पर लिया जायेगा और, जहां तक संभव हो, एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता के माता-पिता या अभिभावक अथवा किसी सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में दर्ज किया जायेगा। संशोधनों में बयानों या इकबालिया बयानों को श्रव्य-दृष्टि इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा दर्ज कि जाने का प्रावधान भी है।

यह उपबंध भी है कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (बलात्कार) से 376घ (पूरी धारा यौन अपराधों से संबंधित है) के अंतर्गत दायर मुकदमा यथासंभव दो मास के अंदर पूरा कर लिया जायेगा।

एक नई धारा 357क भी जोड़ी गयी है जिसमें प्रत्येक राज्य सरकार को निदेश दिया गया है कि अपील होने तक, जमानत की याचिका करने वाले व्यक्ति के लिए मुचलका देने की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, वह अपराध की पीड़िता अथवा उसके आश्रितों के लिए मुआवजे का प्रबंध भी करेगी।

अनैतिक व्यापार, एचआईवी तथा एड्स की रोकथाम पर यूनिफेम एवं आयोग के बीच करार

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास और यूनिफेम दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय कार्यक्रम निदेशक सुश्री एनी एफ. स्टेनहेमर ने महिलाओं के अनैतिक व्यापार को रोकने और एचआईवी/एड्स का नारीकरण किए जाने का विरोध करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए।

इस पहल से अनैतिक व्यापार तथा एचआईवी और एड्स की रोकथाम के कार्य को गति मिलेगी, और यह राष्ट्रीय महिला आयोग एवं यूनिफेम के बीच बढ़ते हुए सहयोग का द्योतक है।

इस अवसर पर बोलते हुए, आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि आयोग तथा यूनिफेम के बीच हुए इस करार से उन मूल क्षेत्रों में पहुंचने में सहायता मिलेगी जहां से महिलाएं अनैतिक व्यापार के लिए ले जाई जाती हैं। यह सहयोग आन्ध्र प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल से अनैतिक व्यापार में ढकेली जाने वाली महिलाओं के बचाव, संरक्षा और सामाजिक एकीकरण के लिए मिलकर कार्य कर सकेगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य यह होगा कि भारत सरकार 2015 तक मूल-क्षेत्रों से अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर रोकथाम व्यवस्था स्थापित करे। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर तीन पंचायतों के लिए एक महिला विकास केन्द्र होगा और इन पंचायतों के तत्वावधान में कम से कम 600 महिलाएं और लड़कियां आत्म-निर्भर बनेंगी।

सुश्री स्टेनहेमर ने अपने भाषण में कहा कि महिलाओं का अनैतिक व्यापार मुख्यतः गांवों से किया जाता है जहां इसे रोकने के लिए कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है। इस कार्यक्रम का ध्येय उस कमी को पूरा करना और रोकथाम सेवाएं उपलब्ध कराना तथा अन्ततः जिला एवं पंचायत स्तर पर संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना है।

यूनिफेम के साथ हुए करार के अवसर पर बोलते हुए डॉ. गिरिजा व्यास

यद्यपि गत वर्षों में अनैतिक मानव व्यापार को रोकने की दिशा में काफी कार्य किया गया है, तथापि रूढ़िवादी मानसिकता को, जिससे कि समाज एवं संस्थाओं में लिंगभेद पनपता है, बदलने के प्रयास नहीं किए गये हैं। यह कार्यक्रम इस मानसिकता को बदलने की जड़ में जायेगा ताकि विभिन्न सम्प्रदाय परिवर्तन का आधार बनें, लिंग-भेद के अंतराल को पाटें और महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकें।

यूनिफेम की सुश्री स्टेनहेमर और डॉ. गिरिजा व्यास करार के दस्तावेजों का आदान-प्रदान करते हुए। साथ में सदस्या यास्मीन अब्रार और सदस्य-सचिव श्री एस. चटर्जी

गैर-निवासी भारतीयों के मुद्दों पर आयोग ने विशेष कानून की मांग की

गैर-निवासी भारतीयों के विवाहों के मुद्दे पर एक प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि गैर-निवासी भारतीयों के मुद्दों पर अलग से एक विस्तृत कानून होना चाहिए क्योंकि ऐसे प्रवासी भारतीय दूल्हों की संख्या जो दहेज के लिए भारत में विवाह करते हैं और फिर अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं बढ़ रही है।

ऐसे कानून में वैवाहिक मामलों, पत्नी तथा बच्चों के भरण-पोषण, बच्चों की हिरासत, दत्तक-ग्रहण, वैवाहिक सम्पत्ति के निबटारे तथा हस्तांतरण आदि का प्रावधान होना चाहिए। गैर-निवासी भारतीयों तथा भारतीयों के बीच मुकदमों पर विदेशी न्यायालयों द्वारा निर्णय दिए जाने में यह कानून मार्ग-निर्देशिका का कार्य करेगा।

डॉ. व्यास ने बताया कि छः मास पूर्व आयोग में स्थापित गैर-निवासी भारतीय कक्ष को वैवाहिक विवाह संबंधी 177 शिकायतें अब तक मिल चुकी हैं। समुद्रपार भारतीय मामलों के मंत्रालय को गत एक वर्ष में ऐसी 331 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अमेरिका से सबसे अधिक

गैर निवासी भारतीयों के मुद्दों संबंधी प्रेस सम्मेलन में सुश्री यास्मीन अब्रार, डॉ. गिरिजा व्यास और श्री समरेन्द्र चटर्जी

130 शिकायतें, ब्रिटेन से 44 और कनाडा से 37 शिकायतें मिली हैं। भारतीय राज्यों में सबसे अधिक 87 शिकायतें पंजाब से प्राप्त हुई, दिल्ली से 59 और हरियाणा से 21 शिकायतें मिलीं।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने गैर-भारतीय विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण किए जाने की भी सिफारिश की है और केन्द्र से आग्रह किया है कि वह सभी विदेशों की सरकारों से, विशेषकर जहां बड़ी संख्या में गैर-निवासी भारतीय रह रहे हैं, आग्रह करे कि वे समुद्रपार विवाहों संबंधी मुद्दों से निबटने के लिए हेग कंवेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रावधानों का परिपालन करें।

आयोग ने कहा है कि विदेश मंत्रालय अपने विदेशी दूतावासों को महिलाओं के सम्मुख आने वाली दहेज की मांग तथा अन्य समस्याओं के प्रति संवेदित करें। डॉ. व्यास ने यह भी सुझाव दिया कि असफल विवाहों की शिकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा आश्वस्त करने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन किया जाये।

महाजन रियल्टी शो पर आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को लिखा

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को लिखा है कि राहुल महाजन के दुल्हन की तलाश वाले आगामी रियल्टी शो में महिलाओं के अशोभनीय प्रदर्शन पर रोक लगाये।

आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने इस शो के शीर्षक में 'स्वयंवर' शब्द पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें महिलाओं के वस्तुकरण की झलक आती है।

सदस्यों के दौरे

इंदौर में भारतीय मानवाधिकार संघ द्वारा आयोजित मानव अधिकार उत्सव में आयोग की सदस्या सुश्री यास्मीन अब्रार ने मुख्य अतिथि के हैसियत से भाग लिया।

इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री अब्रार ने कहा कि पुरुष और महिलाओं के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का कड़ाई से क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा, नारी भ्रूण-हत्या, विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण आदि मुद्दों पर भारतीय मानवाधिकार संघ और राष्ट्रीय महिला आयोग मिलकर काम कर सकते हैं।

बिहार विधान परिषद के सदस्यों का आयोग में आगमन

बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग में आये और आयोग के सदस्यों तथा अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

बैठक से निकले कुछ सुझाव इस प्रकार है :-

- आयोग रेल मंत्रालय को लिखेगा कि रेलगाड़ियों में महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों को नहीं हटाना चाहिए और गाड़ियों में महिलाओं के लिए अलग आरक्षित डिब्बे लगाए जाने चाहिए।
- आयोग बिहार सरकार को लिखेगा कि विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था करे।
- स्वाधार योजना को कार्यान्वित करने का मुद्दा बिहार सरकार के साथ उठाया जाये।
- राष्ट्रीय महिला आयोग बिहार के राज्य महिला आयोग को महिलाओं के मुद्दों पर सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने में सहायता देगा। राज्य आयोग इस बारे में अपने प्रस्ताव राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजेगा।

बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष (दायें) आयोग में चर्चा करते हुए। (बायें से) विधि अधिकारी श्री योगेश मेहता, सदस्य-सचिव श्री एस. चटर्जी, सदस्याएं वानसुक सयीम, यास्मीन अब्रार और नीवा कंवर

महत्वपूर्ण निर्णय

● सेक्सकर्मी शिकार हैं, आरोपी नहीं : न्यायालय

कोयम्बटूर के एक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पुलिस से कहा कि वह सेक्सकर्मियों को अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजे क्योंकि वे केवल 'शिकार' हैं और उन्हें 'आरोपी' नहीं माना जा सकता।

जब अधिनियम की धारा 8(बी) के अंतर्गत गिरफ्तार की गयी दो महिलाओं की जमानत की अर्जी जुडीशियल मजिस्ट्रेट के सम्मुख आयी तो मजिस्ट्रेट ने उन्हें तत्काल रिहा किए जाने के आदेश दिए। व्यापारिक सेक्सकर्मियों के बारे में न्यायिक धारणा में आए स्पष्ट परिवर्तन को प्रतिबिंबित करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय में मजिस्ट्रेट ने कहा कि वे 'कर्ज में लदी, विकल्प-रहित और बदकिस्मत' पीड़िताएं हैं जिन्हें इस व्यापार में धकेल दिया गया है।

● महिलाओं के लिए आयु में छूट

हरियाणा सरकार ने राज्य की निवासी अविवाहित महिलाओं की सरकारी नौकरी पाने की आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ा कर 45 वर्ष कर दी है।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।